न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई

(पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 76 / 2021
दायर दिनांक – 28.07.2021

उनवान

1. धोलूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी पलेई तहसील निवाई जिला टोंक
2. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी पलेई तहसील निवाई जिला टोंक
3. गिरिराज पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी पलेई तहसील निवाई जिला टोंक

वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई

प्रतिवादी

उपस्थित :–

1. वादीगण की ओर से श्री गोपाल चौधरी अधिवक्ता उपस्थित।
2. प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

दावा बाबत तरमीम दुरुस्ती

–: निर्णय :–

दिनांक : 25.04.2022

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 357/3 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम छोरिया तहसील निवाई में स्थित है जिसको वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मय चाह सहित क्रय किया है। जिस पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते है एवं अपनी सम्पत्ति को शारीरिक एवं मानसिक रुप से धारित किये हुये है। वाद वर्णित भूमि में एक नवीन चाह भी है जिसका राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आराजी में दो चाह अंकित कर रखे है तथा मौके पर केवल एक चाह कुआ खुदा हुआ है जबकि राजस्व रिकार्ड में दो चाह अंकित कर रखे है। वादीगण ने मौके अनुसार चाह अंकित करवाने हेतु कई बार तहसीलदार निवाई को प्रार्थना पत्र दे चुके है लेकिन उक्त भूमि I वादीगण के कब्जे काश्त व चाह अनुसार सही तरमीम प्रतिवादी नही करवा रहे है जिसका कि प्रतिवादी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वादीगण को आगे जाकर बहुत परेशानी का सामना करना पडेगा इसलिये वादीगण के लिये अब यह आवश्यक हो गया है क उक्त वर्णित भूमि में मौके के अनुसार चाह अंकित करवाकर शीट में तरमीम सही करवायी जावे। अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी बाबत तरमीम दुरुस्ती की डिक्री इस अमर से फरमायी जावे कि उक्त आराजी की राजस्व शीट में दो चाह दर्शा रखी है उसको निरस्त कर दुबारा मौके

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

अनुसार एक चाह राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व राजस्व शीट नक्शा ट्रेस में मौके अनुसार चाह अंकित किये जाने के आदेश फरमावे।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। तहसीलदार निवाई की ओर से पत्रांक 3620 दिनांक 11.03.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुयी जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक जमाबंदी संवत् 2070–2073 के खाता सं0 88 अनुसार ख0नं0 357/3 रकबा 10 बीघा वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। मौके पर ख0नं0 357/3 में एक ही चाह खुदा हुआ है। खसरा गिरदावरी में भी रकबा 0.01 बीघा में चाह का अंकन किया हुआ है। नक्शा ट्रेस छाया प्रति संलग्न है जिसमें ख0नं0 357/3 में एक चाह लाल स्याही से अंकित है एवं साथ ही उत्तरी दिशा की तरफ ख0नं0 357/1 एवं 357/3 की मेड के मध्य एक अन्य चाह अंकित कर रखा है।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18.04.2022 को पेश हुयी। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए ख0नं0 357/3 में स्थित एक चाह का अंकन राजस्व नक्शा शीट में करवाने हेतु निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा अवगत करवाया गया कि ख0नं0 357/3 रकबा 10 बीघा में मौके पर एक चाह खुदा हुआ है जिसका खसरा गिरदावरी में 0.01 बीघा अंकन किया हुआ है तथा राजस्व नक्शा शीट में लाल स्याही से चाह का अंकन किया हुआ है। वादीगण द्वारा बताये गये एक अन्य चाह का ख0नं0 357/1 एवं 357/3 की मेड के मध्य नक्शा शीट में पूर्व से ही अंकन कर रखा है। जो कि सही नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/भू0अ0/2022/3620 दिनांक 11.03.2022, खसरा गिरदावरी संवत् 2074–77, नक्शा ट्रेस की प्रति का अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन यह पाया गया कि ग्राम छोरिया के आराजी ख0नं0 357/3 रकबा 10 बीघा में एक ही चाह अंकित है। वादग्रस्त भूमि से लगती हुयी आराजी ख0नं0 357/1 एवं वादग्रस्त ख0नं0 357/3 की मेड पर एक अन्य चाह राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अंकित किया हुआ है जबकि तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर केवल एक ही चाह है। दूसरा चाह का अंकन सहवन से किया हुआ है जो राजस्व रिकार्ड में निरन्तर चला आ रहा है। पेरोकार सरकार के अनुसार ख0नं0 357/3 में अंकित चाह भी मेर पर स्थित नही होकर मेर से लगभग 15 फीट नीचे है अर्थात् उक्त चाह की भी तरमीम राजस्व रिकार्ड में सही नही पायी गयी है। अतः न्यायालय प्रथम दृष्टया उक्त वाद को स्वीकार किया जाना उचित समझती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ख0नं0 357/3 में अंकित एवं ख0नं0 357/1 तथा 357/3 की मेर पर अंकित दोनों चाह की तरमीम को हजफ किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि मौका स्थिति अनुसार कृषि भूमि ख0नं0 357/3 वाके ग्राम छोरिया पटवार मण्डल छोरिया तहसील निवाई में स्थित चाह की तरमीम की जावे। पर्चा डिक्री तरतीब की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर रहे।

आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25/4

(त्रिलोक चन्द मीणा)
उपखण्ड अधिकारी निवाई